

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

24.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 5108 का उत्तर

रेल पटरियों की सुरक्षा

5108. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री विनायक भाऊराव राऊत:

श्री चंद्र शेखर साहू:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारतीय रेल विशेष रूप से मानसून के मौसम के दौरान रेलवे पटरियों की खराब स्थिति से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान रेल पटरियों के टूटने के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे हैं और क्या सुधारात्मक कार्यान्वयन किया गया है;
- (घ) क्या रेलवे के संरक्षा आयुक्त ने कॉकण रेल मार्ग पर यातायात के संबंध में चेतावनी दी है और यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) रेलवे द्वारा रेल पटरियों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

रेल पटरियों की सुरक्षा के संबंध में 24.07.2019 को लोक सभा में श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री विनायक भाऊराव राऊत और श्री चंद्र शेखर साहू के अतारांकित प्रश्न सं. 5108 के भाग (क) से (ड) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): निरीक्षणों की सुस्थापित प्रणाली के माध्यम से रेल पथों की हालत की नियमित आधार पर मॉनिटर किया जाता है विशेष रूप से मानसून के दौरान। रेलपथ हरसमय सुरक्षित स्थिति में हो यह सुनिश्चित करने के लिए रेलपथों के अनुरक्षण/नवीकरण के लिए अपेक्षित कार्रवाई की जाती है। रेलवे ने भारतीय रेल रेलपथ नियमावली में “मॉनसून पूर्व निवारक उपाय” के रूप में यथा निर्धारित आवश्यक पूर्वोपाय के बारे में अनुदेश जारी किये हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रेलपथों की पेट्रोलिंग, संवेदनशील पुल स्थलों पर स्थायी चौकीदार की तैनाती, अनुवर्ती कार्रवाई सहित रेलवे को प्रभावित करने वाले कार्यों/मौसम संबंधी चेतावनी के निरीक्षण के साथ गर्डर की पुनःस्थापन/रिलीफ गर्डरों के लिए रिजर्व सामग्री की उपलब्धता इत्यादि शामिल है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेल पर ‘पटरियों में दरार’ के कारण कुल 23 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। वर्ष-वार आंकड़ें निम्नानुसार हैं।

वर्ष	परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या	पटरियों में दरार के कारण परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या
2016-17	104	14
2017-18	73	04
2018-19	59	05
2019-20 (30-06-2019 तक)	18	कुछ नहीं

(ग): भारतीय रेल पर रेलगाड़ी दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए प्रत्येक परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की जांच या तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) द्वारा की जाती है या रेलवे की विभागीय जांच समिति द्वारा। जांच रिपोर्टों के निष्कर्ष/सिफारिशों के अनुसार विभिन्न दोष निवारक और सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

रेल पथ की संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपायों अर्थात् पूर्वबलित कंक्रीट (पीएससी) स्लीपरों, 60 किलोग्राम, 90 या 260 मीटर लंबाई के लंबे पैनेल के रूप में उच्चतर अल्टीमेट टेनसिल स्ट्रेंथ(यूटीएस) रेल से बने हुए आधुनिक रेलपथ संरचना को बिछाना, रेलपथों में खराबी को समय पर ठीक करने के लिए पटरियों/वेल्ड का अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन (यूएसएफडी) जांच, ट्रैक रिकार्डिंग कार सहित ट्रैक जियोमेट्री की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, रेलपथ पर अलुमिनो-थर्मिट वेल्ड ज्वाइंट की संख्या को कम करने के लिए फ्लैश बट वेल्ड को शामिल करना इत्यादि किए जाते हैं।

(घ): रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस), सेण्ट्रल सर्कल, मुंबई द्वारा प्रत्येक वर्ष मॉनसून से पहले पूरे कॉकण मार्ग पर वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। सीआरएस के अवलोकनों का समय समय पर अनुपालन किया जाता है। सीआरएस ने हाल ही में कॉकण रेलवे मार्ग पर यातायात के बारे में कोई गंभीर टिप्पणी नहीं की है।

(ङ): भारतीय रेल द्वारा संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और संरक्षा में वृद्धि के लिए नियमित आधार पर हर संभव उपाय किए जाते हैं। इसमें गतायु परिसंपत्तियों का समय पर बदलाव, रेलपथ, चल स्टॉक, सिगनलिंग और इंटरलॉकिंग प्रणाली के अपग्रेडेशन और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाना, संरक्षा संबंधी अभियान, कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर देना, संरक्षा प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए मॉनिटर करने और कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए नियमित अंतराल पर संरक्षा संबंधी निरीक्षण शामिल है।
